AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत _____ मुकाम _____

_____ बनाम _____

किस्म मुकदमा _____ नं. _____ 13/2019 सन् _____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/9/2019	~~पत्रावली पेश हुई। व कुलाम पक्ष/वकील हाजिर आये हैं। नकल पत्रावली लिहाजा पत्रावली मिति 6/11/2019 को पेश हो।~~	
6/11/2019	~~पत्रावली पेश। हाजिर व कुलाम पक्ष/वकील के अधिवक्ता कनिष्ठ सुनवाई अलिखित के अधिवक्ता वरिष्ठ की पत्रावली मिति 8/11/2019 को पेश हो।~~	06/11/19
8/11/2019	पत्रावली पेश हुई। आज्ञेय अपील एवं अपीलांट सं02 अनोपसिंह उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्ण की गई। अभिभाषक प्रत्यर्थी नरेन्द्र भारी उपस्थित। उभय पक्ष से समझाईश की गई। अपीलांट सं० 2 ने बाद समझाईश रेस्पोडेंट द्वारा चाहा गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त रास्ता देने में अपनी सहमति जाहिर करते हुए सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर अडिशिनल के हाशिये पर किये। मामला उभय पक्ष के मध्य राजीखुशी से निपटाया गया। अपीलांट सं02 ने यह भी अवगत कराया कि मौके पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ता, जो मौका फर्द दिनांक 12-4-2018 (12 अप्रैल 2018) में दर्शित ख नं० 222 में A से B है, चालू होकर रेस्पोडेंट द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है; शेष भूमि में तारबंदी कर रखी है। मौके पर उपलब्ध एवं चालू रास्ता रेस्पोडेंट को देने में अब कोई आपत्ति नहीं है। अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त उपरोक्त रास्ता प्रदान कर देने पर उभय पक्ष की रजामंदी एवं सहमति के मद्देनजर सहायक कलक्टर (SDO) बावड़ी के आदेश दि० 30-11-2018 से प्रदत्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार बावड़ी को प्रदान किये जाते हैं। प्रदत्त रास्ते की भूमि के प्रतिफल (मुआवजा) बाबत जो राशि निर्धारित की गई है उसे अपीलांट लेने या रेस्पोडेंट को पुनः लौटाने के लिए स्वतंत्र है। आदेश सरे इजलास उभय पक्ष की उपस्थिति में सुनाया गया और इनके अभिभाषक भी मौजूद रहे। पत्रावली नंबर से कम होकर फैसल शुमार हो। आदेश के साथ की तारीख [illegible] "आदेश प्रभावत रखा गया", हो	8/11/ Anop Singh

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर